आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 42/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामदास यादव वगैरह ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

तपसी यादव वगैरह .....द्वितीय पक्ष

07.02.2019 यह प्रक्रिया आवेदक रामदास यादव, 2. शुकुल यादव, 3. लक्ष्मण यादव, 4. सीता यादव चारो के पिता– स्व0 चुटुर यादव, 5. कामेश्वर यादव पिता– स्व0 जटहु यादव, 6. रामदास महतो, 7. महेशी यादव, 8. शुकन यादव तीनो के पिता– स्व0 मुनारीक यादव, 9. रामदेव यादव, 10. नान्हु यादव, 11. लखन यादव, 12. विषुण यादव चारो के पिता– स्व0 बिलट यादव सभी ग्राम– टेनपा, पो0– मुनकेरी, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू ने 1. तपसी यादव पिता– स्व0 घुरन यादव, 2. विनोद यादव, 3. शिवनाथ यादव, 4. प्रसाद यादव, 5. प्रमोद यादव, चारो के पिता– तपसी यादव, 6. पच्चु यादव पिता– स्व0 नन्हक यादव, 7. भोला यादव,

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाही टिप्पणी सहित
1	2	

8. चलितर यादव, 9. सुखाड़ी यादव, 10. शिवनाथ यादव, 11. लक्ष्मी यादव पाँचो के पिता— पच्चु यादव 12. मिथलेश यादव पिता— स्व0 बुधन यादव 13. बैजनाथ यादव, 14. शिवनाथ यादव दोनो के पिता— स्व0 करम यादव, 15. चैतन यादव पिता— स्व0 नन्हक यादव, 16. दशरथ यादव, 17. जनेश्वर यादव, 18. जितेन्द्र यादव, 19. नरेश यादव, 20. निरज यादव पाँचो के पिता— चैतन यादव, 21. रामदास प्रजापति पिता— स्व0 चुलन प्रजापति, 22. रामविलाश प्रजापति पिता— स्व0 भुलन प्रजापति, सभी ग्राम— टेनपा, पो0— मुनकेरी, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया था, जिसके आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 755 दिनांक 31.07.2018 एवं ज्ञापांक 1088 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गयी। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अपने डी0 आर0 न0— 1467/2018 दिनांक— 05.12.2018 के द्वार जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं —

7/12/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

शांति– व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है मौजा– टेनपा, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 133, रकबा– 9.66 एकड़ चौहद्दी उतर– सिवाना तेनुडीह, दक्षिण– रामदास प्रजापति वगैरह, पूरब– तपसी यादव, पश्चिम– जनेशर राम वगैरह के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद ग्राम– टेनपा, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 133, रकबा– 9.66 एकड़ भूमि पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विवादी भूमि में बंधिया देवी को 1/5 हिस्सा दर्शाया गया है जो तपसी यादव, शिवनाथ यादव के पक्ष में विक्री कर दिया गया है, बाकी शेष 4 हिस्सा बच गया है। अपने माता पिता के मृत्यु के बाद

3/2/19

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक अल्प व्यस्क थे और द्वितीय पक्ष के साथ संयुक्त रूप से जोत– कोड़ करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष के सदस्यगण को बलपूर्वक भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष जमीन्दारी बंदोबस्ती के आधार पर विवादित भूमि पर दखल– कब्जे में हैं और बलपूर्वक बिना कागजात के विवादी भूमि पर दावा करते हैं। पुलिस जाँच प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि दोनो पक्ष गोतिया हैं, संयुक्त सम्पती के आधार पर विवादी भूमि पर दावा करते हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष का निवेदन है कि निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाय तथा द्वितीय पक्ष को वाद भूमि पर जाने से रोका जायं। द्वितीय पक्ष के क्रम सं0– 01 से 05 तक के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा– टेनपा, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 133, रकबा– 20.00 एकड़ गत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। उक्त खाता एवं प्लॉट में 3.41 1/2 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के क्रम सं0– 01 तपसी यादव के पिता– घुरन महतो भूतपूर्व जमीन्दार बाबू गणेश लाल अग्रवाल द्वारा जमीन्दारी	

24/2/19

ी कम और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

बन्दोबस्ती से हासिल हुआ था, बंदोब्सती के आधार पर घुरन महतो का शांतिपूर्वक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ। जमीन्दारी उनमूलन के पश्चात सरकार के सिरेस्ते में घुरन महतो का नाम दर्ज हुआ तथा सरकारी लगान रसीद घुरन महतो के नाम से कटते चला आ रहा है। घुरन महतो के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र तपसी यादव का शांतिपूर्वक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रक्रिया भूमि की चौहद्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व से पूरब तरफ द्वितीय पक्ष क्रमांक सं0– 01 तपसी यादव की भूमि है जिसपर शांतिपूर्वक दखल– कब्जा तपसी यादव का है।

द्वितीय पक्ष के क्रम सं0– 06 से 20 तक के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा– टेनपा, खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 133, रकबा– 7.00 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार के बन्दोबस्ती एवं 1.91 1/2 एकड़ भूमि बंधितया देवी से भूमि खरिदगी के आधार पर दावा करते हैं। नन्हक महतो द्वितीय पक्ष के क्रम सं0– 06 से 20 तक के पूर्वज थे, उन्हे खाता सं0– 34, प्लॉट सं0– 133, रकबा– 7.00 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से बन्दोबस्ती के द्वारा

3/12/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	

प्राप्त था। अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर दाखिल– काबीज रहे। उनके मृत्यु के पश्चात उनके तीन पुत्र पच्चु यादव, करण यादव एवं चैतन यादव का उक्त भूमि पर दाखिल– काबीज हुए। बंदोबस्ती की जमीन तीन टुकड़ों में अवस्थित है जो पहला टुकड़ा 3.30 एकड़, दुसरा टुकड़ा 3.33 एकड़ तीसरा टुकड़ 0.40 एकड़ का है। जमीन्दारी जाने के बाद पच्चु यादव के नाम से रिटर्न फाईल किया गया तथा 7.00 एकड़ भूमि की जमाबंदी पच्चु यादव के नाम से कायम हुआ तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0– 06 से 20 सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि भिखारी महतो का इस वाद भूमि के ऊपर संपूर्ण हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था वे इस वाद के भूमि के ऊपर अपने जीवनकाल तक दाखिल– काबीज थे, उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी बंधिया देवी का स्वामित्व स्थापित हुआ तथा बंधिया देवी के नाम से जमाबंदी का संधारण हुआ। बंधिया देवी ने 0.57 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं0– 7790

ी कम और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

दिनांक 30.08.2013 के द्वारा वैद्यनाथ यादव, शिवनाथ यादव एवं 1.50 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं0— 7792 दिनांक 30.08.2013 के द्वारा शिवनाथ यादव पिता— पच्चु यादव, वैद्यनाथ यादव पिता— स्व0 करण यादव तथा निबंधित विक्रय पत्र सं0— 7792 दिनांक 30.08.2013 के द्वारा 0.11 एकड़ भूमि शिवनाथ यादव पिता— पच्चु यादव के नाम से निबंधित कर दिये। उक्त तीनो विक्रय पत्र का नामांतरण होने के पश्चात क्रेता का शांतिपूर्ण दखल— कब्जा हुआ। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर इस वाद की भूमि पर अपना दावा करते हैं जो विधि संगत नहीं है। प्रथम पक्ष को इस वाद भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, इसके विपरीत द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0— 06 से 20 तक का वर्षों से वाद भूमि पर दाखिल— काबीज हैं।

द्वितीय पक्ष के क्रम सं0— 21 एवं 22 के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा— टेनपा, खाता सं0— 34, प्लॉट सं0— 133, रकबा— 2.50 एकड़ भूमि विदेशी कुम्हार को जमीन्दारी बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ था जो रामदास —

7/2/19

...श की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश... कार्रव... टिप्पण... सहित
1	2	
	प्रजापति एवं रामविलाश प्रजापति के पूर्वज थे। विदेशी कुम्हार अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर दाखिल– काबीज रहे तथा उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों 1. चुल्हन कुम्हार, 2. भुलन कुम्हार का हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित हुआ। जमीन्दारी जाने के पश्चात उक्त भूमि का जमाबंदी चुल्हन कुम्हार एवं भुलन कुम्हार के नाम से संधारण हुआ। उक्त भूमि का हाल सर्वे खतियान चुल्हन कुम्हार एवं भुलन कुम्हार के नाम से तैयार हुआ है। फिल्ड बुझारत के समय भी रामदास प्रजापति एवं रामविलाश प्रजापति के पूर्वज का दखल– कब्जा पाया गया था। रामदास प्रजापति वगैरह का वर्षों से उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल– कब्जा है। प्रथम पक्ष द्वारा खतियानी भूमि के आधार पर इस वाद की भूमि पर दावा करना काल्पनिक एवं निराधार है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार –	

कम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

से बाहर है। यदि प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते है। साथ ही धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:51:46 +05:30
Location: 192.168.238.105